कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&IkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक /बैठक/2023 /2402 दिनांकः– 19 जुलाई 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष, भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की अध्यक्षता में दिनांक 18 जुलाई 2023 को सायं 04.00 बजे अयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्य /अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट –1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: राजस्व ग्राम बिरड़ावास के खसरा संख्या 616/128, कुल रकबा 20–01 बीघा भूमि, किस्म बारानी–2 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम बिरड़ावास के खसरा संख्या 616/128, कुल रकबा 20–01 बीघा भूमि, किस्म बारानी–2 में नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 6 जुलाई, 2021 में प्रदत्त निर्देशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन प्रयोजनार्थ 4000 भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर, उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) व तहसीलदार कुड़ी भगतासनी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम बिरड़ावास के खसरा संख्या 616/128, किस्म बारानी–2, कुल रकबा 20–01 बीघा भूमि में से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरड़ावास, ग्राम पंचायत बिरामी हेतु विद्यालय भवन एवं खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2022 पार्ट, जयपुर, दिनांक 06 जुलाई, 2021 के अनुसार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु सम्भागीय मुख्यालय पर 4000 वर्गमीटर तथा अन्य स्थानों पर 6000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन स्थानीय निकायों के स्तर से करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य के राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जायेंगे।

प्राधिकरण तहसीलदार, भू.अ. निरीक्षक व पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर भूमि खाली है तथा 60 फीट कटाण मार्ग से मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेण्ट प्लान/जोनल डवलपमेण्ट प्लान अनुसार ग्रामीण एरिया हेतु आरक्षित है। डी.सी.आर. अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय 24 मीटर (80 फीट) व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है। पी.डब्ल्यू. डी. से प्राप्त डेटा अनुसार यू.आर. से प्रभावित है, जिसका सड़क मार्गाधिकार निर्धारण किया जाना है।

Scanned with OKEN Scanner

प्राधिकरण की विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार कोई वाद लंबित नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन/विचाराधीन नहीं है। प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

अतः राजस्व ग्राम बिरड़ावास, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 616/128, किस्म बारानी–द्वितीय, कुल रकबा 20–01 बीघा भूमि में से 4000 वर्गमीटर भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिरड़ावास हेतु निःशुल्क आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में राजस्व ग्राम बिरड़ावास के खसरा संख्या 616/128, कुल रकबा 20–01 बीघा भूमि, किस्म बारानी–2 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन हेतु आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत 4000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत् प्राधिकरण की आयोजना शाखा द्वारा जी.आई.एस लैब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 2 :: ग्राम पंचायत धीगांणा के खसरा संख्या 192 किस्म बारानी चतुर्थ रकबा 14.0264 हेक्टेयर में से 500 वर्गमीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम पंचायत धीगांणा के खसरा संख्या 192 किस्म बारानी चतुर्थ रकबा 14.0264 हेक्टेयर में से 500 वर्गमीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के मौका निरीक्षण अनुसार ग्राम धीगांणा के खसरा संख्या 192 रकबा 14.0264 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है एवं मौके पर रिक्त पाई गई।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 में उक्त क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। डीसीआर अनुसार ग्रामीण एरिया में Public Utilities on all Raod after approval from competent authority आरक्षित है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के ऑनलाईन केश मैनेजमेन्ट सिस्टम के अनुसार ग्राम धींगाणा के खसरा संख्या 192 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 607 दिनांक 30.05.2023 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसमें आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उप स्वास्थ्य भव प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण ग्राम धीगांणा के खसरा संख्या 192 किस्म बारानी–चतुर्थ रकबा 14.0264 हैक्टेयर भूमि में से 500 वर्गमीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में ग्राम पंचायत धीगांणा के खसरा संख्या 192 किस्म बारानी चतुर्थ रकबा 14.0264 हेक्टेयर में से आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत 500 वर्गमीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु निःशुल्क करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत् प्राधिकरण की आयोजना शाखा द्वारा जी.आई.एस लैब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: मदरसा जामिया अबूबकर सिद्दीक संस्थान को ग्राम मोकलावास खसरा संख्या 250 रकबा 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के संबंध में।

क.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	मदरसा जामिया अबूबकर सिद्दीक संस्थान को ग्राम मोकलावास खसरा संख्या 250 में भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

मदरसा जामिया अबूबकर सिद्दीक संस्थान द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र–अ व परिषिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन प्रस्तुत कर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ग्राम मोकलावास खसरा संख्या 250 में 34 बीघा 06 बिस्वा भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश किया गया है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 250 ग्राम मोकलावास में कमरे व 2 हॉल इत्यादि का निर्माण किया हुआ है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार 18 मीटर व अधिक रोड पर शैक्षणिक अनुज्ञेय बताया है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 250 ग्राम मोकलावास रकबा 34 बीघा 06 बिस्वा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई भी वाद लंबित नही है।

उजर एतराज/आपत्ति/अनापत्ति हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 13.07.2021 को 15 दिवस के लिए ऑनलाईन अपलोड किया गया था। प्राधिकरण के प्रोगामर की रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

मदरसा जामिया अबूबकर सिद्दीक संस्थान के सचिव द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ यथा माध्यमिक विद्यालय एवं प्रस्तावित बालिका विद्यालय, इंग्लिश मीडियम विद्यालय, छात्रावास, सामुहिक खेल मैदान हेतु रकबा 34 बीघा 06 बिस्वा भूमि आवंटित करवाने के लिए राज्य सरकार की निर्धारित रियायती दर से करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण वास्ते निर्णय हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.12.2021 में रखा गया था जिसके प्रस्ताव संख्या 6 के निर्णयानुसार बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अतः मदरसा जामिया अबूबकर सिद्दीक संस्थान को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 5000 वर्गमीटर भूमि सशुल्क/कीमतन आवंटन करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वास्ते भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

उपरोक्त प्रस्ताव में मदरसा जामिया अबूबकर सिद्दीक संस्थान के सचिव द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ यथा माध्यमिक विद्यालय एवं प्रस्तावित बालिका विद्यालय, इंग्लिश मीडियम विद्यालय, छात्रावास, सामूहिक खेल मैदान हेतु रकबा 34 बीघा 06 बिस्वा भूमि 50 प्रतिशत रियायती दर पर आवंटित करवाने के लिए निवेदन किया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से मदरसा जामिया अबूबकर सिद्दीक संस्थान को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 5000 वर्गमीटर भूमि कीमतन आवंटन करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

अध्यक्ष, शेख नीलगर मुस्लिम धोबी समाज वेलफेयर सोसायटी, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु निवेदन किया गया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404–00 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भू–उपयोग अरबन एरिया यू2 है और जेडडीपी की 30 मी. सडक पर स्थित है। जेडडीपी की किसी भी सडक से प्रभावित नही है। एमडीपी–डीसीआर अनुसार 18 मी. व अधिक सडक पर Socio & ward center अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

दिनांक 13.04.2023 को उजर एतराज/आपत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किया गया था प्रोगामर की रिपोर्ट अनुसार समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404–00 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

अतः ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 किस्म बारानी–चतुर्थ रकबा 404–00 बीघा में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं संपति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में विगत तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 5 :: **ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत्।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

अध्यक्ष, कौम सौदागरान विकास समिति, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु निवेदन किया गया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404–00 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग यू–2 अरबन एरिया 2 है तथा जेडडीपी की 18 मी. सडक पर स्थित है। आवेदित भूमि डीसीआर अनुसार यू–2 भू–उपयोग में Socio & ward center अनुज्ञेय है तथा आवेदित भूमि जेडडीपी की किसी भी सडक से प्रभावित नही है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

दिनांक 18.04.2023 को उजर एतराज/आपत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किया गया था प्रोगामर की रिपोर्ट अनुसार समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

अतः ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 किस्म बारानी–चतुर्थ रकबा 404–00 बीघा में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं संपति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में विगत तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट सलग्न कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव संख्या 6 :: **ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत्।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

Scanned with OKEN Scanner

अध्यक्ष, पिंजारा कौम विकास समिति, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु निवेदन किया गया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404–00 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयेाजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग यू–2 अरबन एरिया है तथा जेडीपी के 30 मी. सडक व 18 मी. सडक के Junction पर स्थित है व जेडीपी की किसी भी सडक से प्रभावित नही है। डीसीआर अनुसार 18 मी. व अधिक सडक पर Socio & ward center अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

दिनांक 13.04.2023 को उजर एतराज/आपत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किया गया था प्रोगामर की रिपोर्ट अनुसार समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404–00 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

अतः ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 किस्म बारानी–चतुर्थ रकबा 404–00 बीघा में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं संपति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है

निर्णय

वैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में विगत तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट सलग्न कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में साइंस सिटी जोधपुर हेतु रकबा 161877.78 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में साइंस सिटी जोधपुर हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप प्रपत्र–स एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में साइंस सिटी जोधपुर हेतु रकबा 161877.78 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 रकबा 469–08–13 बीघा किस्म गै. गोचर राजस्व जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयेाजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का एमडीपी 2031 अनुसार भू–उपयोग फेस्टिवल सिटी है। फेस्टिवल सिटी डीसीआर अनुसार साइंस सिटी का पृथक से उल्लेख नही है किन्तु ऑडिटोरियम, आर्ट गैलरी, म्यूजियम इत्यादि को 24 मी. व अधिक मार्गाधिकार पर व Governmental use on all roads after approval from competent authority दर्शाया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई भी वाद लंबित नही है।

Scanned with OKEN Scanner

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 22/03/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उजर एतराज/आपत्ति हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 20/06/2023 को अपलोड किया गया था अपलोड समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 कुल रकबा 161877.78 वर्ग मीटर की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में साइंस सिटी हेतु 161877.78 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाए जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में सम्पूर्ण तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी हेतु रकबा 30 बीघा भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

ग्रुप कमाण्डर, एनसीसी ग्रुप मुख्यालय जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप प्रपत्र–स एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी हेतु रकबा 30 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 रकबा 469–08–13 बीघा किस्म गै. गोचर राजस्व जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का एमडीपी 2031 अनुसार भू–उपयोग फेस्टिवल सिटी है। फेस्टिवल सिटी डीसीआर अनुसार सरकारी उपयोग का पृथक से उल्लेख है जिसमें on all roads after approval from competent authority दर्शाया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई भी वाद लंबित नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 16/06/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 कुल रकबा 30 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 5/1 में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी हेतु रकबा 30 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाए जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में सम्पूर्ण तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: ग्राम सतं श्री निम्बाराम नगर ग्राम पचांयत मालूंगा के खसरा संख्या 142 में श्मशान हेतु रकबा 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम सतं श्री निम्बाराम नगर ग्राम पचांयत मालूंगा के खसरा संख्या 142 में श्मशान हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

विकास अधिकारी पचांयत समिति तिवंरी द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम सतं श्री निम्बाराम नगर ग्राम पचांयत मालूंगा के खसरा संख्या 142 में श्मशान हेतु रकबा 2.5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सतं श्री निम्बाराम नगर ग्राम पचांयत मालूंगा के खसरा संख्या 142 रकबा 20.6632 है यानि 127.13 बीघा किस्म गै.मु.पहाड़ जो जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है में स्थित है मोके पर भूमि का श्मशान के रूप में उपयोग हो रही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार पटवारी द्वारा प्रदत लोकेशन का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 JODHPUR के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है । MDP 2031 के बिन्दु सख्या 5.6.5 के अनुसार शहर की भविष्य की आवश्यकताओ हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जा सके।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 142 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पचांयत मालूंगा सतं श्री निम्बाराम नगर के खसरा संख्या 142 रकबा 2.5 बीघा श्मशान भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 28/06/2023 को अपलोड किया गया।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार श्मशान / कब्रिस्तान हेतु संभागीय मुख्यालय अधिकतम क्षेत्रफल पर 3000 वर्गमीटर तक एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन कि जा सकती है।

अतः ग्राम सतं श्री निम्बाराम नगर ग्राम पचांयत मालूंगा के खसरा संख्या 142 में श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में ग्राम सतं श्री निम्बाराम नगर ग्राम पचांयत मालूंगा के खसरा संख्या 142 में श्मशान हेतु आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत् प्राधिकरण की आयोजना शाखा द्वारा जी.आई.एस लैब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 10 :: ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 424 में श्मशान हेतु रकबा 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 424 में श्मशान हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

विकास अधिकारी पचांयत समिति तिवंरी द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 424 में श्मशान हेतु रकबा 04 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 424 रकबा 16.2926 है यानि 100.13 बीघा किस्म गै.मु.भाकर जो जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है में स्थित है मोके पर भूमि श्मशान के रूप में उपयोग हो रही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार पटवारी द्वारा प्रदत लोकेशन का भू–उपयोग MDP 2031 ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है । MDP 2031 के बिन्दु सख्या 5.6.5 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में श्मशान एवं कब्रिस्तान अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 424 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 424 रकबा 04 बीघा श्मशान भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 27/06/2023 को अपलोड किया गया।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार श्मशान/कब्रिस्तान हेतु संभागीय मुख्यालय अधिकतम क्षैत्रफल पर 3000 वर्गमीटर तक एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षैत्रफल 4000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन कि जा सकती है। अतः ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 424 में श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 424 में श्मशान हेतु आंवटन नीति–2015 के अन्तर्गत 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत् प्राधिकरण की आयोजना शाखा द्वारा जी.आई.एस लैब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: ग्राम जुगत सिंह नगर के खसरा संख्या 540 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम जुगत सिंह नगर के खसरा संख्या 540 में सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

Scanned with OKEN Scanner

विकास अधिकारी पचांयत समिति तिंवरी द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम जुगत सिंह नगर के खसरा संख्या 540 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगत सिंह नगर के खसरा संख्या 540 रकबा 70.7632 हैक्टर किस्म गै.मु.गोचर का राजस्व रिकर्ड अनुसार स्वामित्व` जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है मौके पर फाचरों से कच्ची चारदिवारी बनी हुई है एवं मोके पर उक्त स्थान पर श्मशान हेतु भूमि उपयोग में ली जा रही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग एमडीपी/जेडडीपी अनुसार Rural Area दर्शाया गया है DCR अनुसार पृथ्क से श्मशान उपयोग का उल्लेख नहीं है व Public Utilities को On all road after approval from competent autharity दर्शाया गया है MDP रिपोर्ट बिन्दु सख्या 5.6.5 श्मशान एवं कब्रिस्तान अनुसार शहर की भविष्य की आवश्यकताओ हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर नगरीय क्षेत्र–1 नगरीय क्षेत्र–2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जा सके।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगत सिंह नगर के खसरा संख्या 540 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगत सिंह नगर के खसरा संख्या 540 रकबा 3000 वर्गमीटर श्मशान भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 03/07/2023 को अपलोड किया गया।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार श्मशान / कब्रिस्तान हेतु संभागीय मुख्यालय अधिकतम क्षैत्रफल पर 3000 वर्गमीटर तक एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षैत्रफल 4000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन कि जा सकती है।

अतः ग्राम जुगत सिंह नगर के खसरा संख्या 540 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में ग्राम जुगत सिंह नगर के खसरा संख्या 540 में सार्वजनिक श्मशान हेतु आंवटन नीति–2015 के अन्तर्गत 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत् प्राधिकरण की आयोजना शाखा द्वारा जी.आई.एस लैब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 587/2 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 587/2 में सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

Scanned with OKEN Scanner

विकास अधिकारी पचांयत समिति तिवंरी द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 587/2 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि ग्राम तिवंरी के खसरा संख्या 587/2 रकबा 32.3748 हैक्टर किस्म गै.मु.गोचर का राजस्व रिकर्ड अनुसार स्वामित्व` जोधपुर विकास प्राधिकरण का है मोके पर उक्त भूमि श्मशान हेतु उपयोग में ली जा रही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग एमडीपी/जेडडीपी अनुसार Rural Area दर्शाया गया है DCR अनुसार पृथ्क से श्मशान उपयोग का उल्लेख नहीं है व Public Utilities को On all road after approval from competent autharity दर्शाया गया है MDP रिपोर्ट बिन्दु सख्या 5.6.5 श्मशान एवं कब्रिस्तान अनुसार शहर की भविष्य की आवश्यकताओ हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर नगरीय ,नगरीय क्षेत्र–2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जा सकेगें।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 587/2 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 587/2 रकबा 2000 वर्गमीटर सार्वजनिक श्मशान भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 30/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड़ समयावधि में उजर एतराज प्राप्त नही हुआ।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार श्मशान / कब्रिस्तान हेतु संभागीय मुख्यालय अधिकतम क्षैत्रफल पर 3000 वर्गमीटर तक एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षैत्रफल 4000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन कि जा सकती है।

अतः ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 587/2 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 587/2 में सार्वजनिक श्मशान हेतु आंवटन नीति–2015 के अन्तर्गत 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत् प्राधिकरण की आयोजना शाखा द्वारा जी.आई.एस लैब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 :: ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 69/2 में 500 एम.टी. गोदाम निर्माण हेतु रकबा 20 बीघा भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 69/2 में 500 एम. टी. गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य व्यवस्थापक मथानिया क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 69 में 500 एम.टी. गोदाम निर्माण हेतु रकबा 20 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मथानिया प्रथम के खसरा संख्या 69/2 रकबा 5.6656 हैक्टेयर किस्म गै.मु.गोचर राजस्व जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर मे निहित है। उक्त भूमि में एक तरफ महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है एवं शेष भाग रिक्त है। रिक्त भूमि त्रिभुजाकार आकृति में है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग एमडीपी/जेडडीपी अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है व पीडब्ल्युडी से प्राप्त डाटा अनुसार हाइवे पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 200 फुट व तदोपरान्त 100 फुट वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जानी है। गोदाम प्रयोजन का उल्लेख नही है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 69/2 ग्राम मथानिया प्रथम से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 69 में 500 एम.टी. गोदाम निर्माण हेतु रकबा 20 बीघा की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 22/03/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

पूर्व में प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 27 जून 2023 को समक्ष रखा गया जिसमें त्रुटिवश विषय एवं प्रभारी अधिकारी के एजेण्ड़ा के सबंधं में अभिषंशा/प्रस्ताव में खसरा सख्या 69 का अकंन हो गया वास्तव में खसरा सख्या 69/02 है

अतः ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 69/2 में 500 एम.टी. गोदाम निर्माण प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु निर्णय में संशोधन हेतु प्रकरण पुनः प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 27 जून 2023 की एजेण्डा संख्या 02 में त्रुटिवश ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 69 में 500 एम.टी. गोदाम निर्माण हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था।

जिसके क्रम में उपरोक्त प्रस्ताव में समिति द्वारा उक्त बैठक के प्रस्ताव में संशोधन मानते हुये मथानिया के खसरा संख्या 69/2 में 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत् प्राधिकरण की आयोजना शाखा द्वारा जी.आई.एस लैब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 14 :: ग्राम बुधनगर के खसरा संख्या 1113 में अमर शहीद केसाराम विश्नोई शहीद स्मारक हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम बुधनगर के खसरा संख्या 1113 में अमर शहीद केसाराम विश्नोई शहीद स्मारक हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम बुधनगर के खसरा संख्या 1113 में अमर शहीद केसाराम विश्नोई शहीद स्मारक हेतु भूमि आवंटन अभिशंषा की जाती हैं।

अध्यक्ष, अमर शहीद केसाराम बिश्नोई सेवा संस्थान द्वारा ग्राम बुधनगर के खसरा सं 1113 में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर शहीद स्मारक हेतु भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुधनगर के खसरा सं 1113 में आवेदित स्थल तक मार्ग इसी खसरे में से गुजरता हैं। जिसकी मौके पर चौड़ाई लगभग 30 फीट है जो विद्यमान व प्रस्तावित पहूँच मार्ग है।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.7.2018 के प्रस्ताव संख्या 23 के द्वारा 500 व.मी. निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए मार्ग दर्शन मांगने का निर्णय लिया गया था।

नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 9.3.2023 के अनुसार 500 व.मी. भूमि शहीद स्मारक हेतु निशुल्क आवंटन स्थानीय स्तर पर किये जाने का प्रावधान किया है। उक्त परिपत्र अनुसार 500 व.मी. का आवंटन पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जोधपुर के नाम किया जायेगा। उक्त भूमि का प्रयोजन अमर शहीद केसाराम विश्नोई शहीद स्मारक हेतु रहेगा।

अतः वर्तमान मे 500 व.मी. भूमि शहीद स्मारक हेतु निःशुल्क आवंटन स्थानीय स्तर पर किये जाने का प्रावधान आदेश क्रमांक 9.3.2023 के द्वारा किया जा चुका है।

अतः अमर शहीद केसाराम विश्नोई के शहीद स्मारक हेतु ग्राम बुधनगर के खसरा सं 1113 मे से 500 व.मी. भूमि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव निर्णायार्थ हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में ग्राम बुधनगर के खसरा संख्या 1113 में अमर शहीद केसाराम विश्नोई शहीद स्मारक हेतु 500 वर्गमीटर भूमि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत् प्राधिकरण की आयोजना शाखा द्वारा जी.आई.एस लैब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 15 :: राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा संख्या 494 गै.मु. बारानी तृतीय मे से 950 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवंटन के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा संख्या 494 गै.मु. बारानी तृतीय मे से 950 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवंटन के संबंध में।	राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा संख्या 494 गै.मु. बारानी तृतीय मे से 950 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवंटन की अभिषांशा की जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

उप मुख्य इन्जिनियर उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर द्वारा राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा संख्या 494 गै.मु. बारानी तृतीय मे से 950 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया है।

ग्राम रामनगर के खसरा संख्या 494 गै.मु. बारानी तृतीय कुल क्षेत्रफल 1.02 बीघा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर कोई वाद–विवाद लम्बित नही है। आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का आवंटन अनुज्ञेय है। पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि रिक्त है।

उक्त प्रकरण में निर्धारित प्रपत्र में जेडीए की वैब साईट पर आपत्ति सूचना जारी की जा चुकी है निर्धारित समय में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

भूमि आवंटन की दर का निर्धारण है, संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30.1.2023 के प्रस्ताव संख्या 3 के द्वारा निर्धारित किया जा चुका हैं। जिसके अनुसार रेलवे विभाग को उक्त भूमि आवसीय आरक्षित दर 2000/– रूपये प्रति व.मी. पर आवंटन का निर्णय लिया गया है। आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जाये।

आवेदित प्रकरण भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत अनुज्ञेय है अतः राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा संख्या 494 किस्म गै.मु. बारानी–तृतीय मे से 950 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवसीय आरक्षित दर 2000/– रूपये प्रति व.मी. से आवंटन करने के निर्णय हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा संख्या 494 गै.मु. बारानी तृतीय मे से 950 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवासीय आरक्षित दर 2000/– रूपयें प्रति वर्गमीटर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत् प्राधिकरण की आयोजना शाखा द्वारा जी.आई.एस लैब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 :: राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा संख्या 197 गै.मु. बारानी तृतीय मे से 1554 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवंटन के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा संख्या 197 गै.मु. बारानी तृतीय मे से 1554 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवंटन के संबंध में।	राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा संख्या 197 गै.मु. बारानी तृतीय मे से 1554 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवंटन की अभिषांशा की जाती है।

उप मुख्य इन्जिनियर उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर द्वारा राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा संख्या 197 गै.मु. बारानी तृतीय मे से 1554 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया है।

ग्राम गुजरावास के खसरा संख्या 197 गै.मु. बारानी तृतीय कुल क्षेत्रफल 16.15 बीघा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर कोई वाद–विवाद लम्बित नही

Scanned with OKEN Scanner

है। आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का आवंटन अनुज्ञेय है। पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि रिक्त है।

उक्त प्रकरण में निर्धारित प्रपत्र में जेडीए की वैब साईट पर आपत्ति सूचना जारी की जा चुकी है निर्धारित समय में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

भूमि आवंटन की दर का निर्धारण है, संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30.1.2023 के प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा निर्धारित किया जा चुका हैं। जिसके अनुसार रेलवे विभाग को उक्त भूमि आवसीय आरक्षित दर 5500/– रूपये प्रति व.मी. पर आवंटन का निर्णय लिया गया है। आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जाये।

आवेदित प्रकरण भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत अनुज्ञेय है अतः राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा संख्या 197 गै.मु. बारानी तृतीय मे से 1554 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवसीय आरक्षित दर 5500/– रूपये प्रति व.मी. से आवंटन करने के निर्णय हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा संख्या 197 गै.मु. बारानी तृतीय मे से 1554 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवासीय आरक्षित दर 5500/– रूपयें प्रति वर्गमीटर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत् प्राधिकरण की आयोजना शाखा द्वारा जी.आई.एस लैब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: राजस्व ग्राम जाजीवाल कलां के खसरा संख्या 160 गै.मु. गौचर मे से 144 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवंटन के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	राजस्व ग्राम जाजीवाल कलां के खसरा संख्या 160 गै.मु. गौचर मे से 144 वर्गमीटरभूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवंटन के संबंध में।	राजस्व ग्राम जाजीवाल कलां के खसरा संख्या 160 गै.मु. गौचर मे से 144 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवंटन की अभिषांशा की जाती है।

उप मुख्य इन्जिनियर उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर द्वारा राजस्व ग्राम जाजीवाल कंला के खसरा संख्या 160 गै.मु. गौचर मे से 144 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया है।

ग्राम जाजीवाल कलां के खसरा संख्या 160 गै.मु. गौचर कुल क्षेत्रफल 13.10 वीघा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर कोई वाद–विवाद लम्बित नही है। आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का आवंटन अनुज्ञेय है। पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि रिक्त है।

उक्त प्रकरण में निर्धारित प्रपत्र में जेडीए की वैब साईट पर आपत्ति सूचना जारी की जा चुकी है निर्धारित समय में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

Scanned with OKEN Scanner

भूमि आवंटन की दर का निर्धारण है, संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30.1.2023 के प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा निर्धारित किया जा चुका हैं। जिसके अनुसार रेलवे विभाग को उक्त भूमि आवसीय आरक्षित दर 3200/– रूपये प्रति व.मी. पर आवंटन का निर्णय लिया गया है। आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जाये।

आवेदित प्रकरण भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत अनुज्ञेय है अतः राजस्व ग्राम जाजीवाल कंला के खसरा संख्या 160 गै.मु. गौचर मे से 144 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवसीय आरक्षित दर 3200/– रूपये प्रति व.मी. से आवंटन करने के निर्णय हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में राजस्व ग्राम जाजीवाल कलां के खसरा संख्या 160 गै.मु. गौचर मे से 144 वर्गमीटर भूमि उ.प. रेलवे मण्डल जोधपुर को आवासीय आरक्षित दर 3200/– रूपयें प्रति वर्गमीटर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत् प्राधिकरण की आयोजना शाखा द्वारा जी.आई.एस लैब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यावद समाप्त हुई।

(जय नारायण मीणा) 19/7/23
सचिव

क्रमांक /बैठक/2023/2403-08 दिनांकः– 19 जुलाई 2023

प्रतिलिपी वास्ते सचूनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
3. निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. उपायुक्त–जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट –1

श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 18 जुलाई, 2023 को सांय 04:00 बजे आयोजित भूमि निस्तारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

01. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
02. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
03. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक – विधि , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
04. श्री श्रवण सिंह , उपायुक्त जोन–3/4 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
05. श्री महेन्द्र चौधरी , निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
06. श्री महेन्द्र सिंह पवांर, निदेशक अभियान्त्रिकी , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
07. श्रीमति मृदुला शेखावत , उपायुक्त जोन –1 , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
08. श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, उपायुक्त जोन –5 , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
09. श्री श्रवण कुमार, उपायुक्त जोन–6 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।

Scanned with OKEN Scanner